**न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०) पंचम/न्यायिक मजिस्ट्रेट, फैजाबाद।**

परिवाद संख्या–222/2018
मीरा देवी बनाम दिवाकर वर्मा

**13.11.2019**

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। आवेदिका अनुपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका विगत कई पेशियों से उपस्थित नही आ रही है। प्रस्तुत आवेदन आवेदिका की ओर से अन्तर्गत धारा–31 घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 प्रस्तुत किया गया है परन्तु आवेदिका विगत कई तिथियों से उपस्थित नही आ रही है। आज भी आवेदिका न तो उपस्थित है और न ही उसकी ओर से कोई स्थगन प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली विगत कई तिथियों से वास्ते अग्रिम आदेश हेतु नियत है। परन्तु आवेदिका द्वारा उक्त मे कोई पैरवी नही की गयी। आवेदिका को अन्तिम अवसर भी प्रदान किया गया परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदिका उक्त वाद को चलाने में कोई रूचि नही ले रही है। अतः आवेदन आवेदिका की अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

ए.सी.जे.(जे.डी.)पंचम/जे0एम0
फैजाबाद।